पत्रांक–04 / HFA–04 / 15 807 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी आयुक्त, नगर निगम।
सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद / नगर पंचायत।

पटना, दिनांक 29/3/17

विषय :– **बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के वास रहित परिवारों के लिये वास भूमि नीति 2014 के परिपेक्ष्य में ''सबके लिये आवास'' योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–3942 दिनांक–04.09.2015 एवं पत्रांक–542 दिनांक– 27. 02.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग का कृपया स्मरण किया जाय। प्रसांगिक विभागीय पत्र द्वारा आपको बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के वास रहित परिवारों के लिये वास भूमि नीति 2014 के संबंध आपके द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा भी इसकी समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक–3942 दिनांक–04.09.2015 (प्रति संलग्न) में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रति माह MIS के ई–मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। MIS Team प्राप्त प्रतिवेदन संकलित कर समेकित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
28/3/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(15)

पत्रांक–4/HFA-04/2015 3942 न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक 04/9/15

विषय :– **बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के वास रहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति 2014 के परिप्रेक्ष्य में "सबके लिए आवास" योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 813 दिनांक 03.07.2015 की प्रति संलग्न है, जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वास रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संकल्प संख्या 153 दिनांक 09.02.2015 की प्रति भी संलग्न हैं

2. इस पत्र का गहराई से अध्ययन किया जाय एवं अपने अंचल के अंचलाधिकारी से समन्वय करके, शहरी क्षेत्रों में रह रहे वास विहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु सघन प्रयास किया जाय।

3. आप अवगत हैं कि सरकार द्वारा "सबके लिए आवास" योजना लागू की गयी है, जिसमें सभी वास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना है।

4. जिन शहरों में आवास की योजनाएं कार्यान्वित हो रही है, वहाँ अनेकों मामलों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। अतः अपने क्षेत्र में वास विहीन परिवारों को युद्ध स्तर पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु कड़ा प्रयास किया जाय।

(14)

5. राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा बैठकों में इस हेतु आपके द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमित रूप से की जाएगी। राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन लाना सुनिश्चित किया जाय :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वास विहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने की नीति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	वास विहीन SC/ST परिवारों की सं०	अद्यतन तिथि तक वास भूमि उपलब्ध कराये गये परिवारों की सं०	इस दिशा में किये गये प्रयासों का सार
1	2	3	4

विश्वासभाजन

3.9.15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक -4/HFA-04/2015 3942 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 04/9/15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी राज्यस्तरीय समीक्षा बैठकों में शहरी क्षेत्रों में वास भूमि उपलब्ध कराने की सरकार की नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने की कृपा की जाय।

3.9.15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक -4/HFA-04/2015 3942 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 04/9/15

प्रतिलिपि :– MIS Team, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे यह प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकन करें।

3.9.15
प्रधान सचिव